न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस

(1) 223RTA2024-035(GCMS2024-076)

1. उलफत पत्नी बाबू खां जाति मुसलमान
   निवासी ग्राम कानसिंह की सिड,
   तहसील बाप, जिला फलोदी
2. जमाली पत्नी सामु खां जाति मुसलमान
   निवासी ग्राम कानसिंह की सिड,
   तहसील बाप, जिला फलोदी

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. अजीजा पत्नी सदीक खां जाति मुसलमान
2. गुलसेर खां पुत्र अनवर खां जाति मुसलमान
3. छोटू खां पुत्र अनवर खां जाति मुसलमान
   निवासीगण ग्राम कानसिंह की सिड,
   तहसील बाप, जिला फलोदी
4. मेहरो खातू पत्नी शकूर खां जाति मुसलमान
   निवासी ग्राम घटोर, तहसील बाप
   जिला फलोदी
5. पर्वतसिंह नाथावत पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत
   निवासी ग्राम आसलखेडी,
   तहसील व जिला चुरू
6. अजीज खां पुत्र सामु खां
7. अब्दुल करीम पुत्र सामु खां
8. कादर खां पुत्र फजरू खां
9. कालू खां पुत्र सामु खां
10. छूटका पुत्री सामु खां
11. छोटा पुत्र सामु खां
12. जनी पत्नी कादर खां
13. तारा पुत्री बाबु खां
14. पप्पु खां पुत्र बाबू खां
15. बसीर खां पुत्र बाबू खां
16. भंवरी पुत्री सामु खां
17. मनु पुत्री सामु खां
18. मनोहरअली पुत्र बाबू खां
19. मराम खां पुत्र सामु खां
    जातियान मुसलमान,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निवासीगण ग्राम कानसिंह की सिड,
तहसील बाप, जिला फलोदी

20. प्रदीप भूतडा पुत्र रामेश्वरलाल जाति भूतडा
निवासी कानसिंह की सिड, तहसील बाप
जिला फलोदी
21. एस.बी.आई. बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक
शाखा कानसिंह की सिड, तहसील बाप
जिला फलोदी
22. राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार बाप
जिला फलोदी

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिकी न्यायालय सहायक कलेक्टर बाप दिनांक 03 मई 2023 राजस्व वाद संख्या 182/2022 अजीजा व अन्य बनाम अजीज खां इत्यादि

--- 0 ---

(2) 223RTA2024-036(GCMS2024-089)

1. उलफत पत्नी बाबू खां जाति मुसलमान
निवासी ग्राम कानसिंह की सिड,
तहसील बाप, जिला फलोदी
2. जमाली पत्नी सामु खां जाति मुसलमान
निवासी ग्राम कानसिंह की सिड,
तहसील बाप, जिला फलोदी

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. अजीजा पत्नी सदीक खां जाति मुसलमान
2. गुलसेर खां पुत्र अनवर खां जाति मुसलमान
3. छोटू खां पुत्र अनवर खां जाति मुसलमान
निवासीगण ग्राम कानसिंह की सिड,
तहसील बाप, जिला फलोदी
4. मेहरो खातूं पत्नी शकूर खां जाति मुसलमान
निवासी ग्राम घटोर, तहसील बाप

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जिला फलोदी

5. पर्वतसिंह नाथावत पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत
   निवासी ग्राम आसलखेडी,
   तहसील व जिला चुरू
6. अजीज खां पुत्र सामु खां
7. अब्दुल करीम पुत्र सामु खां
8. कादर खां पुत्र फजरू खां
9. कालू खां पुत्र सामु खां
10. छूटका पुत्री सामु खां
11. छोटा पुत्र सामु खां
12. जनी पत्नी कादर खां
13. तारा पुत्री बाबु खां
14. पप्पु खां पुत्र बाबू खां
15. बसीर खां पुत्र बाबू खां
16. भंवरी पुत्री सामु खां
17. मनु पुत्री सामु खां
18. मनोहरअली पुत्र बाबू खां
19. मराम खां पुत्र सामु खां
    जातियान मुसलमान,
    निवासीगण ग्राम कानसिंह की सिड,
    तहसील बाप, जिला फलोदी
20. प्रदीप भूतडा पुत्र रामेश्वरलाल जाति भूतडा
    निवासी कानसिंह की सिड, तहसील बाप
    जिला फलोदी
21. एस.बी.आई. बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक
    शाखा कानसिंह की सिड, तहसील बाप
    जिला फलोदी
22. राजस्थान सरकार
    जरिये तहसीलदार बाप
    जिला फलोदी

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर बाप दिनांक 31 जनवरी 2024 राजस्व वाद संख्या 182/2022 अजीजा व अन्य बनाम अजीज खां इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -

➤ श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

➢ श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 3 व 5
➢ श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 22

नि र्ण य

दिनांक : 14 अक्टूबर, 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर वाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 182/2022 अजीजा व अन्य बनाम अजीज खां आदि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03 मई 2023 तथा निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 31 जनवरी 2024 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत यह दोनों अपीलें अदालत हाजा के समक्ष को प्रस्तुत की है। साथ ही अपील संख्या 035/2024 (जीसीएमएस 2024/76) प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 5 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 188 व 92-ए के तहत एक राजस्व वाद ग्राम कानसिंह की सिड स्थित आराजी खसरा संख्या 239 रकबा 44.4101 हैक्टेयर बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 03 मई 2023 को स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये और विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर फाइनल डिक्री एवं निर्णय दिनांक 31 जनवरी 2024 पारित किये गये। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03 मई 2023 के खिलाफ अपीलाण्ट्स द्वारा अपील संख्या 035/2024 (जीसीएमएस 2024/76) एवं निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 31 जनवरी 2024 के खिलाफ अपील संख्या 036/2024 (जीसीएमएस 2024/89) प्रस्तुत की गयी। उक्त दोनों अपीलों के सारवान तथ्य, पक्षकारान एवं विषयवस्तु एक समान होने से इन दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ एक ही निर्णय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक संबंधित अपील पत्रावली के संलग्न रखी जावे।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद बाबत अपीलाण्ट्स को कभी कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ, मगर विचारण न्यायालय द्वारा अधिवक्ता-वादीगण द्वारा प्रस्तुत पोस्टल रसीदात के आधार पर अपीलाण्ट्स के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये गये जो नैसर्गिक न्याय के मूलभूति सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री बाबत अपीलाण्ट्स को दिनांक 26 जनवरी 2024 को पटवारी हल्का द्वारा बताये जाने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई और तब बाद आवश्यक कार्यवाही अपीलाण्ट्स द्वारा जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपील प्रस्तुत कर दी गयी, जो अन्दर मियादशुमार की जावे। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि ग्राम कानसिंह की सिड स्थित आराजी खसरा संख्या 239 का मूल रकबा 1047 बीघा 05 बिस्वा था, जिसमें से 1/48 हिस्सा अपीलाण्ट जमाली द्वारा दिनांक 20 नवम्बर 2004 को जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, तब से आदिनांक तक अपनी खरीदसुदा भूमि पर वह निरन्तर काबिज काश्त है। न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी के समक्ष राजस्व वाद संख्या 180/98 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06 सितम्बर 2006 के अनुसार वादग्रस्त आराजी बाबत घोषणा खातेदारी एवं विभाजन की डिक्री जारी हो चुकी थी, जिसके अनुसरण में म्युटेशन संख्या 1846 ग्राम कानसिंह की सिड स्वीकृत हुआ। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी बाबत नये बंटवारे बाबत प्रस्तुत वर्तमान वाद चलने योग्य नहीं रहता है। निर्णय व डिक्री दिनांक 06 सितम्बर 2006 के अनुसरण में राजस्व रिकार्ड में सहखातेदारान के हिस्से विधिवत दर्ज हो रखे थे, मगर सेग्रीगेशन में वादीगण का हिस्सा गलत रूप से अधिक एवं अपीलाण्ट्स का हिस्सा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कम दर्ज कर दिया गया, अर्थात जिस जमाबंदी के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा वर्तमान में वाद में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, उस जमाबंदी में वादग्रस्त आराजी के सहखातेदारान के हिस्से सही दर्ज नहीं है और ऐसी स्थिति में सहखातेदारान के सही हिस्से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुए बिना वादीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 5 की ओर से प्रस्तुत दावा पोषणीय नहीं रहता है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि वादीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 5 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष समुचित साक्ष्य सबूत प्रस्तुत कर अपने वाद को साबित नहीं किया गया है, कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी, कोई दस्तावेज प्रदर्श नहीं कराये गये। इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित विधिक प्रकिया को नजरअंदाज करते हुए सीधे ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03 मई 2023 पारित कर दिये गये। जो विधिसम्मतः एवं न्यायोचित नहीं है। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के पूर्व अपीलाण्ट्स को सूचित नहीं किया गया और मौके पर सहखातेदारान का भौतिक कब्जा देखे बिना ही गलत विभाजन प्रस्ताव अपीलाण्ट्स की अनुपस्थिति में तैयार कर दिये गये। जिन पर विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान की आपत्तियॉ आमन्त्रित कर निराकरण किये बिना ही निर्णय एवं फाइनल डिक्री पारित कर दिये गये। अंत में अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने अपनी बहस के समर्थन में 2014(1) आरआरटी 258 उद्धरित की और आलौच्य अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन किया और कथन किया कि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स सहित सभी प्रतिवादीगण की तामील हेतु सम्मन जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये जाने की पोस्टल रसीदात पेशी दिनांक 25 दिसम्बर 2022 को प्रस्तुत की गयी और उसके बाद निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के बाद भी अपीलाण्ट्स विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 10 जनवरी 2023 को उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

का आदेश पारित किया गया। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलाण्ट्स को विचारण न्यायालय में सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही में अमल लाने के आदेश को अपास्त कराये जाने की भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मामले में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03 मई 2023 के खिलाफ अदालत हाजा में अपीलाण्ट्स द्वारा निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के बाद विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गयी और विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में विलम्ब का कोई समुचित संतोषजनक कारण भी अंकित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय में दावा मात्र विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया गया, पक्षकारान के खातेदारी अधिकारों बाबत कोई चाराजोई नहीं की गयी है और न ही विचारण न्यायालय द्वारा किसी पक्षकार के हिस्से की भूमि में कमी-बेशी की गयी है। पूर्व में राजस्व वाद संख्या 180/98 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06 सितम्बर 2006 के अनुसार वादग्रस्त आराजी के सम्पूर्ण रकबे 1097 बीघा बाबत विभाजन किया गया था। जिसमें 274 बीघा भूमि संयुक्त तौर पर जिन पक्षकारान के मध्य रखी गयी, उन्हीं पक्षकारान के मध्य उक्त 274 बीघा भूमि के विभाजन हेतु वर्तमान दावा प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार वर्तमान दावा पूर्ववर्ती दावे की कार्यवाही के आधार पर विधि द्वारा बाधित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी के सहखातेदारान के दर्ज हिस्सों के अनुरूप विभाजन प्रस्ताव तलब किया जाकर विधिक प्रकिया के अनुरूप कार्यवाही करते हुए संबंधित कानूनी प्रावधानों की पालना कर निर्णय एवं फाइनल डिक्री जारी की गयी है जिनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदनुसार खारिज किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 22 ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया गया। जहाँ तक विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03 मई 2023 के खिलाफ अपीलाण्ट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, न्यायहित में मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियादशुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण के संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रवली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 3 की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के तहत वादग्रस्त आराजियात बाबत बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया। जिसमें अपीलाण्ट्स बतौर प्रतिवादीगण संख्या 3 व 9 पक्षकार संयोजित है। उक्त वाद की कार्यवाही में बावजूद तामील प्रतिवादीगण संख्या 1 से 17 उपस्थित नहीं आने पर विचारण न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी और समुचित अवसर देने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 18 की ओर से कोई जबाब पेश नहीं किये जाने पर जबाब का अवसर बंद किया गया। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद का कोई जबाब अथवा काउण्टर क्लेम पेश नहीं होने की स्थिति में तनकियात कायम नहीं हुई और किसी भी पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी बाबत राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 03 मई 2023 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर संबंधित तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव किये गये। जिसके अनुसरण में तहसीलदार (भू.अ.) बाप द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर 2023 को मौके पर उपस्थित पक्षकारान व अन्य मौतबिरान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किये। राजस्व अभिलेख में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादग्रस्त आराजियात के अभिलिखित सहखातेदारान के हिस्सों के अनुरूप तैयार विभाजन प्रस्ताव बाबत दिनांक 29 जनवरी 2024 को विचारण न्यायालय द्वारा सुनवाई की गयी और राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते (जैसा कि 2014(1) आरआरटी 258 में माननीय न्यायालय द्वारा धारित किया गया है) हुए निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 31 जनवरी 2024 पारित किये गये।

पूर्व में राजस्व वाद संख्या 180/98 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06 सितम्बर 2006 के अनुसार वादग्रस्त आराजी के सम्पूर्ण रकबे 1097 बीघा बाबत विभाजन किया जाना, और उक्त विभाजन में जो 274 बीघा भूमि संयुक्त तौर पर जिन पक्षकारान के मध्य रखी गयी, उन्हीं पक्षकारान के मध्य उक्त 274 बीघा भूमि के विभाजन हेतु वर्तमान दावा प्रस्तुत किया जाने के तथ्य का भी अपीलाण्ट्स द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में जाहिर है कि वर्तमान दावा पूर्ववर्ती दावे की कार्यवाही के आधार पर विधि द्वारा बाधित नहीं होता है।

इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03 मई 2023 एवं निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 31 जनवरी 2024 में किसी प्रकार की कोई अनियमितता अथवा विधिक त्रुटि नजर नहीं आती है। अतः प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03 मई 2023 एवं निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 31 जनवरी 2024 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 14 अक्तूबर 2024 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(ओम प्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर